फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक सन् 202604050100001 2025–2026
विषय–...............**अवैध रूप से वृक्ष कटाई**...............प्रकरण की श्रेणी...............अ–62.........................2025–2026
ग्राम –...........**सण्डेल**.......बन्दोबस्त क्रमांक...........पटवारी हल्का क्रमांक ....तहसील–.........बरपाली.........
कलेक्टर का कमांक..............सन्................अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक ....सन्............2025–2026
तहसीलदार का क्रमांक.......................सन्.....................नायब तहसीलदार का क्रमांक..................सन्..................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही **छ0ग0शासन <u>बनाम</u> दिलबहार**	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों केहस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वा लिपिक के संक्षिप्तहस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
01/04/2026	–कार्यालय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र करतला के पत्र क्रमांक 483 करतला, दिनांक 16/03/2026 में लेख किया गया है कि करतला वन परिक्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 01/03/2026 की शाम 7.49 बजे मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि करतला परिक्षेत्र के सण्डेल परिसर में एक माजदा पीकअप में लकड़ी लोड कर परिवहन करने की कोशिश की जा रही है, तो परिसर वन अधिकारी सण्डेल श्री कपिल कुमार कंवर, बी0एफ0ओ0 द्वारा अपने दलबल के साथ ग्राम–सण्डेल पहुंचा और ग्राम सण्डेल के ग्रामीण एवं वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साथ में लेकर 8.30 बजे घटना स्थल पर पहुंच कर वाहन चालक अक्षय कुमार वल्द बीरसिंह, जाति– सतनामी, ग्राम– बिनौरी, पो0–पचपेड़ी, थाना –पचपेड़ी, जिला– बिलासपुर,छ0ग0 के पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वाहन टाटा अल्ट्रा CG-16,CJ 1651 को किराया में लाया गया है। उक्त वाहन में लोड लकड़ी की प्रजाति–महानीम/सेमल लकड़ी को ग्राम– नोनबिर्रा निवासी– दिलबहार वल्द संतराम, जाति– यादव द्वारा ग्राम–सण्डेल के किसानों से पेड़ खरीदकर कटवाकर गाड़ी में परिवहन कराया जा रहा था, जिससे संबंधित व्यक्ति से परिसर रक्षक सण्डेल द्वारा वृक्ष कटाई अनुज्ञा पत्र एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र मांग करने पर संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मौके पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जप्त कर उक्त वाहन को वन मण्डल कार्यालय कोरबा में खड़ा किया गया है। भू–राजस्व संहिता की धारा 240 एवं 241 का उल्लंघन कारित करते पाया गया साथ ही परिवहन कर्ता द्वारा आसपास के निजी भूमिस्वामियों के जमीन से कटाई किया जाना बताया जा रहा है, जिससे नियमानुसार राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु प्राप्त हुई।	

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

–प्रकरण ऑन लाईन दर्ज हो।

–प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। कार्यालय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र करतला के पत्र क्रमांक 483 करतला, दिनांक 16/03/2026 के अनुसार वाहन में लोड काष्ठ सेमल– 84 नग, महानीम–41 नग कुल 125 नग/7.033 घ0मी0 होना लेख किया गया है। अनावेदक के द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति से वृक्षों को काटा गया है। अतः 04 पेड़ सेमल एवं 03 पेड़ महानीम को काटकर परिवहन करने से छ0ग0भू0रा0संहिता की धारा 258 की उपधारा(2) के खण्ड (इकसठ) (बासठ) सहपठित धारा 240, 241 में बनाये गये प्रावधानों के तहत बिना अनुमति के 07 वृक्ष को काटने के कारण प्रति वृक्ष 5,000–5,000/– रूपये के हिसाब से 35,000/–रूपये(पैंतीस हजार रूपये अनावेदक दिलबहार वल्द संतराम, जाति– यादव, निवासी– नोनबिर्रा, तहसील– करतला, जिला–कोरबा, छ0ग0 को शास्ति अधिरोपित किया जाता है। अनावेदक शास्ति राशि जमा करें।

–वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा को पत्र जारी कर वाहन एवं उसमें भरे लकड़ी को अनावेदक के सुपुर्द किया जावे।

–तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)